न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री वीरमा राम आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :— 608 / 2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1.मालाराम पुत्र खुमाराम जाति जाट निवासी काऊ का खेड़ा तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर		1 तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 67, 68, 131 RLR Act.

उपस्थिति :—

1. श्री कैलाश N. सारण, वकील प्रार्थीगण पक्ष।

आदेश

दिनांक 14.05.2025

संक्षिप्त में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा काऊ का खेड़ा खसरा संख्या 783 / 358 रकबा 8.6441 हैक्टेयर(मूल खसरा संख्या 587 / 358) का आया हुआ हैं। प्रार्थी के उक्त खेत में से कदीमी रास्ता राजस्व अभिलेख में दर्ज करने का आवेदन विप्रार्थी तहसीलदार बाड़मेंर (वर्तमान तहसीदार बाड़मेर ग्रामीण) के द्वारा राऊ जी की ढाणी, काऊ का खेड़ा व हरखाणी गोदारों की ढाणी के लिए न्यायालय के समक्ष तहसीलदार बाड़मेंर बनाम लालाराम वगैरा का आवेदन संख्या 288 / 2017 पेश किया जिसमें अंतिम आदेश दिनांक 18.05.2017 को पारित किया गया। उक्त कदीमी रास्ता तीन गांवो के 19 खातेदारान के खेतो से होकर चलता है जिस पर हल्का पटवार के द्वारा प्रस्तावित कदीमी रास्ता के लिए तीनों गांवों के खेतो का अलग—अलग प्रस्तावित रास्ता का नजरी नक्शा बरंग लाल रंग से दर्शित करते हुए श्रीमान तहसीलदार के मार्फत न्यायालय में पेश किया। उक्त नजरी नक्शे बनाते समय प्रार्थी का खेत मौजा काऊ का खेड़ा की सरहद पर खसरा संख्या 587 / 358(वर्तमान खसरा संख्या 783 / 358) तथा आगे मौजा राऊजी की ढाणी के सरहद खेत खसरा संख्या 371(वर्तमान खसरा संख्या 463 / 371) की सीमा पर उक्त कदीमी रास्ता का नक्शा मानवीय भूलवश अलग जगह प्रार्थी के खेत में खेत के ऊपरी भाग खसरा संख्या 360 की तरफ आगे बरंग लाल रंग से दर्शित करते हुए बना दिया तथा उक्त प्रस्तावित रास्ते का मौजा राऊजी की ढाणी व काऊ के खेड़ा गांव का राजस्व अभिलेख नक्शा लट्ठा ट्रेस में गलत तरमीम हो जाने से रास्ते का सम्पर्क नहीं हो रहा जबकि मौके पर प्रार्थी के खेत में ग्रेवल सड़क राऊजी ढाणी के खेत खसरा संख्या 371 के बीचो—बीच होकर प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 783 / 358(मूल खसरा संख्या 587 / 358) में चल रहीं हैं, जिसका परिशिष्ट अ में बरंग पीला रास्ता से दर्शित स्थल से चल रहीं है जबकि हल्का पटवारी के द्वारा प्रस्तावित रास्ता में बरंग लाल रंग से गलत रूप से दर्शित कर दिया। [illegible] के संलग्न पेश हैं। वर्तमान में प्रार्थी के खेत में चल रहे कदीमी [illegible] डामरीकरण कार्य शुरू हुआ तब प्रार्थी द्वारा अपने खेत का सीमाज्ञान कराने हल्का पटवारी से निवेदन किया तब प्रार्थी को ज्ञात हुआ कि तरमीम गलत हो रखी हैं, जिसकी प्रमाणित प्रतियां प्रार्थी द्वारा [illegible] की गई, उक्त प्रमाणित प्रतियों के अवलोकन से प्रार्थी को गलत तरमीम का ज्ञान हुआ, तभी यह आवेदन पेश किया जा रहा हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.04 16:18:50 IST
Reason: SelfAttested

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा काऊ का खेड़ा खसरा संख्या 783 / 358 रकबा 8.6441 हैक्टेयर (मूल खसरा संख्या

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

358) में से काऊ का खेड़ा, राऊ जी की ढाणी व हरखाणी गोदारों की ढाणी को ...ने वाले कदीमी रास्ता आवेदन संख्या 288/2017 के आदेश दिनांक 18.05.2017 का पुनर्विलोकन कर कदीमी रास्ते की लट्ठा ट्रेस में हुई गलत तरमीम को मौके पर कब्जा काश्त अनुसार दुरूस्त करवाने के आदेश फरमावे।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण से मौका रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण ने अपने पत्रांक भू.अ./2025/748 दिनांक 08.05.2025 को रिपोर्ट इस आशय की उपलब्ध करवाई कि मौजा काऊ का खेड़ा पटवार हल्का कवास के खसरा संख्या 783/358 में राजस्व आवेदन संख्या 288/2017 के आदेश दिनाक 18.05.2017 के द्वारा मौके पर चल रहे कच्चा रास्ता को रकर्ड में दर्ज करने के लिए आदेश जारी किए गए, इस आदेश की पालना में में रेकर्ड में अमलदरामद किया गया। गत वर्ष इस कटाण मार्ग पर डामर सड़क का निर्माण करने पर खातेदार द्वारा ग्रेवल सड़क से हटाकर परिशिष्ठ "ब" में प्रस्तावित सड़क की भूमि पर डामर सड़क का निर्माण किया गया। वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में अंकित रास्ते की भूमि खसरा संख्या 840/358 पर रास्ते का उपयोग नहीं किया जाकर उसे कृषि उपयोग में लिया जा रहा हैं वर्तमान रेकर्ड की स्थिति का परिशिष्ठ "अ" बनाया गया हैं। प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर वनी डामर सड़क अनुसार रास्ते को राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाना है जिसको परिशिष्ठ "व" वनाया गया है। प्रार्थी की खातेदारी के खेत खसरा संख्या 783/358 में रास्ते की भूमि खसरा संख्या 840/358 की तरमीम परिशिष्ठ "ब" अनुसार किया जाना उचित हैं।

, वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण की मौका रिपोर्ट के अनुसार मौजा काऊ का खेड़ा पटवार हल्का कवास तहसील बाड़मेंर ग्रामीण व जिला बाड़मेंर के खसरा संख्या 783/358 में रास्ते की भूमि खसरा संख्या 840/358 की लट्ठा ट्रेस में अशुद्ध तरमीम को निरस्त करते हुए मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ "ब" के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने पर अपनी सहमति प्रकट की। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में परिशिष्ठ "ब" के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने की अभिशंषा की है। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण की रिपोर्ट से स्पष्ट है मौजा काऊ का खेड़ा पटवार हल्का कवास तहसील बाड़मेंर ग्रामीण व जिला बाड़मेंर के खसरा संख्या 783/358 में रास्ते की भूमि खसरा संख्या 840/358 की लट्ठा ट्रेस में भूलवश तरमीम गलत दर्ज हो गई। रेकर्ड में अंकित तरमीम तथा मौके पर रास्त की तरमीम में भिन्नता उत्पन्न हो गई है, मौके पर उपस्थित पक्षकार [illegible] ने बताया कि सभी पक्षकार आपसी सहमति से मौके की [illegible] दुरूस्ती करवाना चाहते है। प्रकट तथ्यों के मद्देनजर मौजा काऊ का खेड़ा पटवार हल्का कवास तहसील बाड़मेंर ग्रामीण व जिला बाड़मेंर के खसरा संख्या 783/358 में रास्ते की भूमि खसरा संख्या 840/358 भूमि की वर्तमान लट्ठा ट्रेस तरमीम को निरस्त करते हुए मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ "ब" के अनुसार दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.04 16:18:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तहसीदार बाडमेर ग्रामीण की मौका रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित तरमीम परिशिष्ट "ब" को वकील प्रार्थीगण की सहमति पर स्वीकार किया जाकर मौजा काऊ का खेड़ा पटवार हल्का कवास तहसील बाड़मेंर ग्रामीण व जिला बाड़मेंर के खसरा संख्या 783/358 में रास्ते की भूमि खसरा संख्या 840/358 भूमि की वर्तमान लठ्ठा ट्रेस में अशुद्ध तरमीम जो इस न्यायालय के राजस्व आवेदन संख्या 288/2017 आदेश दिनांक 18.05.2017 की पालना में तहसीलदार बाड़मेंर ग्रामीण द्वारा की गई थी को निरस्त करते हुए तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ "ब" के अनुसार तरमीम दुरूस्त कर राजस्व नक्शा में तरमीम दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण तदनुसार समस्त राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ठ "ब" आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 14.05.2025 को सरें ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.04 16:18:50 IST
Reason: SelfAttested